दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार वाणित्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणित्य विभाग द्वारा पायोतित

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/625

29.10.2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: 31 सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं का समेकन और सीमा शुल्क, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की संशोधित प्रभावी दरें

अधिसूचना संख्या 45/2025 - कस्टम दिनांक 24 अक्टूबर 2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 मौजूदा सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं को एक अधिसूचना में समेकित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं।

1 नवंबर 2025 से प्रभावी इस अधिसूचना का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना तथा व्यवसायों के लिए व्याख्यात्मक जटिलता को कम करना है।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एचएस कोड पर लागू संशोधित शुल्क दरों की समीक्षा के लिए उपरोक्त अधिसूचना का संदर्भ लें।

अधिसूचना <u>https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251027024702.pdf</u> पर देखी जा सकती है

यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

प्लेक्सकॉन्सिल टीम